

जावेक क्र. 1527/16
दि. 19/12/16



समग्र प्रदेश शासन
रजिस्ट्रार, फार्म एवं संस्थाएं, मंडी



कार्यालय, बसिस्टेट रजिस्ट्रार, फार्म एवं संस्थाएं, पी.टी.सी.
ग्रामंड के पास, गोगापुरा, साबर (मध्य)

प्रारूप क्रमांक 1
(देखिये नियम 3)
समितियों के पंजीयन हेतु ज्ञापन
पत्र



S5340303626309092016

जावेदन क्रमांक:- S5340303626309092016

1. सोसायटी का नाम PANDIT SHREE GYASI LAL MISHRA EDUCATIONAL
AND SOCIAL WELFARE SOCIETY होगा।

2. सोसायटी का कार्यालय H.NO. 22, MISHRA CLINIC WARD NO. 12, BUS STAND NOWGONG
471201 तहसील Nagaon जिला Chhatarpur मध्य प्रदेश में स्थित होगा।

सोसायटी के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे:



समिति का पंजीयन क्र. 1527/16
समिति का पंजीयन दि. 19/12/16

अति. रजिस्ट्रार

क्र.सं.	उद्देश्य
1	क्षेत्र के क्षेत्र में कार्य करने हुए नृपु, श्रमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, विद्यालय, महाविद्यालय अथवा औद्योगिक संस्थाओं की स्थापना करना व इनका विभिन्न संस्थान करना
2	नरसीकी शिक्षा सम्बन्धित इंजीनियरिंग कॉलेज, चिकित्सा महाविद्यालय, आई.टी.आई., निम्न टेक्निकल एन.एन.टी.सी., बी.एड., सी.एड., इन्फार्मिटी, पैरामेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज, विद्या कॉलेज, एम.बी.ए., एम.बी.ए., वाणिज्य, विधि, सी.ए., एम.ए., बी. कॉम, एम.कॉम, माईम, फार्मेसी कॉलेज, सी. जार्ज, कंप्यूटर साइंस, ऑर्किट्रेट, एमर्सोविड आदर्श, कॉन्फर्ट, एंथिपेडिक व अन्य उच्च शिक्षा हेतु विभिन्न पाठ्यक्रमों का विभिन्न स्थापना व संचालन करना
3	पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण, जल संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, मलमल वार्मिंग, वन संरक्षण, मृदा संरक्षण आदि के क्षेत्र में कार्य करने हुए लोगों में जागृति फैलाना इन हेतु कार्यशाला, सेमिनार, गैली आदि का आयोजन करना व योजनाएं संचालित करना एवं वाटरशेड, जैव विविधता संरक्षण हेतु योजनाओं का विशालकरण करना
4	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्य करना एवं आम जन जागरूक को इनके लाभ में अवगत करने हेतु सोचसाली संचालित करना
5	स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने हुए आयुष्य को स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता करके हुए उन्ने स्वास्थ्य सुविधा सुरक्षा करना हेतु कार्य करना व नैय शिक्ति, जल शोधन केंद्र, स्वास्थ्य शिक्षा आदि का आयोजन करना तथा धानक एवं राष्ट्रीय बीमारियों जैसे मधु, टी.बी., डेंगु, मृदापण आदि के प्रति जागरूकता फैला करना व योजनाओं का संचालन करना
6	नैतिक, जल, पर्यावरण, सामाजिक विकास आदि मोरों के उन्नयन हेतु योजनाओं का विधानकरण करना व उनको स्वास्थ्य व शिक्षा का लाभ देना

	आर्थिक कुशलता जैसे कारिधान, दूध प्रपा, परा प्रपा, मात विवाह, नशाभुक्ति, अंधविधान, सिंग मेर आदि को जड़ से मिटाने हेतु समाज में जागरूकता लाना व योजनाओं का संचालन करना
8	सूचक प्रपा रोकने, कन्याओं का आदर्श सामुदायिक विवाह व महिलाओं का शिक्षित व आत्मनिर्भर बनाने हेतु हर संभव योजनाओं का क्रियान्वयन करना
9	समाज में उत्थान व जनहित के लिए सभी योजनाओं का संचालन करना व वैरिटीजल मनिविधिओं का संचालन करना
10	आकृषिक आधारों जैसे सुकंग, सुनारी, ज्वालामुखी, वाद, आर आदि के प्रयोगों से पीटील व्यक्तियों के लिए हर संभव सहायता करना
11	संगठन द्वारा कृषि, बागवानी एवं पशु चिकित्सालय, शिक्षा संनर्न तथा कृषि विधिविद्यालय महाविद्यालय एवं अनुसंधान संनधान आदि का संचालन करना
12	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सम्बंधित जागरूकता अभियान, नशाभुक्ति एवं निःशुल्क परामर्श शिविरो का आयोजन करना

समिति का संजीवन क्र. 11/3/18
समिति का संजीवन दि. 3.10.16
अति. रजिस्ट्रार



द्वारा समिति के कार्यों का प्रबंधक "भासक परिषद, संचालकों, सभा या शाली-निकाय को सौंपा गया है।
जलेख निम्नांकित है:-

		पितापति का नाम	पद	पूर्ण पता	व्यवसाय
	Dr. Ravi Kant Mishra	Shri Veerendra Kumar Mishra	सदस्य	H.NO. 22, Mishra Clinic Ward No. 12, Bus Stand Nowgong, Nagaon, Chhat arpur, Madhya Pradesh	Medical Business
2	Smt. Vidhya Devi Mishra	Shri Veerendra Kumar Mishra	उपसदस्य	H.NO. 22, Mishra Clinic Ward No. 12, Bus Stand Nowgong, Nagaon, Chhat arpur, Madhya Pradesh	Business Agriculture
3	Er. Bhartendu Mishra	Shri Vijay Kumar Mishra	सचिव	H.NO. 22, Mishra Clinic Ward No. 12, Bus Stand Nowgong, Nagaon, Chhat arpur, Madhya Pradesh	Business
4	Shri Pradeep Kumar Mishra	Shri Veerendra Kumar Mishra	सोपानसदस्य	H.NO. 22, Mishra Clinic Ward No. 12, Bus Stand Nowgong, Nagaon, Chhat arpur, Madhya Pradesh	Business Agriculture
	Shri Vijay Kumar Mishra	Shri Veerendra Kumar Mishra	संयुक्त सचिव	H.NO. 22, Mishra Clinic Ward No. 12, Bus Stand Nowgong, Nagaon, Chhat arpur, Madhya Pradesh	Agriculture
6	Smt. Geeta Mishra	Shri Pradeep Kumar Mishra	सदस्य	H.NO. 22, Mishra Clinic Ward No. 12, Bus Stand Nowgong, Nagaon, Chhat arpur, Madhya Pradesh	Business
7	Dr. Smt. Sandhya Mishra	Shri Ravi Kant Mishra	सदस्य	H.NO. 22, Mishra Clinic Ward No. 12, Bus Stand Nowgong, Nagaon, Chhat arpur, Madhya Pradesh	Doctor Clinic
8	Shri Govind Prasad Arjariya	Shri Durga Prasad Arjariya	सदस्य	H.No. 10, Village Harpalpur, Nagaon, Chhat arpur, Madhya Pradesh	Ex-Service in Electricity Office
9	Shri Jugal Kishor Pathak	Shri Parikshit Pathak	सदस्य	H.No. 10, Village Harpalpur, Nagaon, Chhat arpur, Madhya Pradesh	Agriculture



यह पंजीयन के समय आपन पत्र की नकल है। प्रबंधक की सूची नहीं है।

समिति का पंजीयन क्र. 11/18
समिति का पंजीयन दि. 3-10-16
अति. राजिन्द्रा

पत्र के साथ समिति के विनियमों की एक प्रमाणित प्रति बैसा कि मध्य प्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रार
1973 (1973 का 44) की धारा 5 की उप-धारा (1) के अधीन अपेक्षित है, मंलग्न है। हम, बनेक व्यक्ति, जिनके नाम
लिखे हैं, समिति का निर्माण उपरोक्त जापन पत्र के अनुसार करने के इच्छुक हैं तथा जापन-पत्र पर निम्नांकित साक्षियों
की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये हैं।

Serial_No	निर्मायकताओं के नाम, पूर्ण पते, पिता/पति का नाम सहित	हस्ताक्षर
1	Dr. Ravi Kant Mishra, Shri Veerendra Kumar Mishra, H.NO. 22, Mishra Clinic Ward No. 12, Bus Stand Nowgong, Nagaon, Chhatarpur, Madhya Pradesh	
2	Smt. Vidhya Devi Mishra, Shri Veerendra Kumar Mishra, H.NO. 22, Mishra Clinic Ward No. 12, Bus Stand Nowgong, Nagaon, Chhatarpur, Madhya Pradesh	
3	Er. Bharlendu Mishra, Shri Vijay Kumar Mishra, H.NO. 22, Mishra Clinic Ward No. 12, Bus Stand Nowgong, Nagaon, Chhatarpur, Madhya Pradesh	
4	Shri Pradeep Kumar Mishra, Shri Veerendra Kumar Mishra, H.NO. 22, Mishra Clinic Ward No. 12, Bus Stand Nowgong, Nagaon, Chhatarpur, Madhya Pradesh	
5	Shri Vijay Kumar Mishra, Shri Gyasi Lal Mishra, H.NO. 22, Mishra Clinic Ward No. 12, Bus Stand Nowgong, Nagaon, Chhatarpur, Madhya Pradesh	
6	Smt. Seema Mishra, Shri Pradeep Kumar Mishra, H.NO. 22, Mishra Clinic Ward No. 12, Bus Stand Nowgong, Nagaon, Chhatarpur, Madhya Pradesh	
7	Dr. Smt. Sandhya Mishra, Shri Ravi Kant Mishra, H.NO. 22, Mishra Clinic Ward No. 12, Bus Stand Nowgong, Nagaon, Chhatarpur, Madhya Pradesh	
8	Shri Govind Prasad Arjariya, Shri Durga Prasad Arjariya, H.No. 10, Village Harpalpur, Nagaon, Chhatarpur, Madhya Pradesh	
9	Shri Jugal Kishor Pathak, Shri Parikshat Pathak, H.No. 10, Village Harpalpur, Nagaon, Chhatarpur, Madhya Pradesh	

समिति का पंजीयन क्र. 11218
समिति का पंजीयन दि. 3.10.16
अति. रजिस्ट्रार

S5340303626309092015

हस्ताक्षर से संबंधित दस्तावेज संलग्न करें

चानान नं०: SBIN000615914750909201666440

नियमावली

पदाधिकारी के पहचान पत्र की जानकारी

पहचान पत्र के निचे: Voters Identity Card

पहचान पत्र का क्रमांक: UBY3273497

पदाधिकारी के पता की जानकारी

पता के निचे: Voters Identity card

पते का क्रमांक: UBY3273497



T.G.

16.12.16

(एम.जे. कुरेशी)

अति. रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीज
सागर संभाग सागर

Sashi Kumar Arjariya
हस्ताक्षर

नाम:- Sashi Kumar Arjariya

पिता/पति का नाम:- Shri Govind Prasad Arjariya

पूर्ण पता :- H.No. 10, Village Harpalpur Nowgong
Chhatarpur M. P.

हस्ताक्षर एवम पदनाम, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, फर्म एवं
संस्थाएं, पी.टी.सी. ब्रांड के पास, सोपानगंव, सागर (म.प्र.)
फोन-07582-240131

समिति का पंजीयन क्र. 11718
समिति का पंजीयन दि. 3.10.16

अति. रजिस्ट्रार

S5340303626309092016

नियमावली

1. सोसायटी का नाम PANDIT SHREE GYASI LAL MISHRA EDUCATIONAL AND SOCIAL WELFARE SOCIETY होगा।
2. सोसायटी का प्रधान कार्यालय मकान क्रमांक H.NO. 22, MISHRA CLINIC WARD NO. 12, BUS STAND NOWGONG 471201 तहसील नौगांव जिला छतरपुर मध्य प्रदेश में स्थित होगा।
3. सोसायटी का कार्यक्षेत्र संपूर्ण मध्यप्रदेश
4. 3. सोसायटी के उद्देश्य निम्नानुसार होंगे:-

समिति का पंजीयन क
समिति का पंजीयन दि

असि. रजिस्ट्रार

शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते हुए स्कूल, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, विद्यालय, महाविद्यालय व अन्य शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करना व इनका विधिवत् संचालन करना

तकनीकी शिक्षा अन्तर्गत इंजीनियरिंग कालेज, चिकित्सा महाविद्यालय, आई.टी.आई., स्किल डेवलपमेंट, एन. एस. डी. सी., बी. एड., डी. एड., यूनिवर्सिटी, पैरामेडिकल कालेज, नर्सिंग कालेज, डेंटल कालेज, डिग्री कालेज, एम. बी. ए., एम. सी. ए., वाणिज्य, विधि, बी. ए., एम. ए., बी. कॉम., एम. कॉम. साइंस, फार्मसी कॉलेज, डी. फार्मा., कंप्यूटर साइंस, आर्किटेक्ट, एम्प्लॉयड आर्ट्स, क्राफ्ट्स, पॉलिटेक्निक व अन्य उच्च शिक्षा हेतु विभिन्न पाठ्यक्रमों का विधिवत् स्थापना व संचालन करना

पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण, जल संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण, मृदा संरक्षण आदि के क्षेत्र में कार्य करते हुए लोगों में जागरूकता लाना इस हेतु कार्यशाला, संगोष्ठी, रैली आदि का आयोजन करना व योजनाएँ संचालित करना एवं वाटरशेड, जैव विविधता संरक्षण हेतु योजनाओं का क्रियान्वयन करना

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्य करना एवं आम जन मानस को इसके लाभ से अवगत कराने हेतु योजनाएँ संचालित करना

स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करते हुए आमजन को स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता करते हुए उन्हें स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने हेतु कार्य करना व नैत्र शिविर, ब्लड डोनेशन कैम्प, स्वास्थ्य शिविर आदि का आयोजन करना तथा घातक एवं गंभीर बीमारियों जैसे एड्स, टी.बी., कैंसर कुपोषण आदि के प्रति



[Signature]

Bmishra 9

प्रीत कुमार



6	जागरूकता पैदा करना व योजनाओं का संचालन करना
7	निःशक्त जन, मंदबुद्धि, मानसिक विकलांग आदि लोगों के उत्थान हेतु योजनाओं का क्रियान्वयन करना व उनको स्वास्थ्य व शिक्षा का लाभ देना
8	सामाजिक कुरतियों जैसे जातिपात, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, नशामुक्ति, अंधविश्वास, लिंग भेद आदि को जड़ से मिटाने हेतु समाज में जागरूकता लाना व योजनाओं का संचालन करना
9	भ्रूण हत्या रोकने, कन्याओं का आदर्श सामुहिक विवाह व महिलाओं का शिक्षित व आत्मनिर्भर बनाने हेतु हर संभव योजनाओं का क्रियान्वयन करना
10	सामाज के उत्थान व जनहित के लिए सभी योजनाओं का संचालन करना व चैरिटेबिल गतिविधियों का संचालन करना
11	प्राकृतिक आपदायें जैसे भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, बाढ़, आग आदि के प्रकोपों से पीडीत व्यक्तियों के लिए हर संभव सहायता करना
12	संस्था द्वारा कृषि, बागवानी एवं पशु चिकित्सालय, शिक्षा अंतर्गत यथा कृषि विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान आदि का संचालन करना
13	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सम्बंधित जागरूकता अभियान, नशामुक्ति एवं निःशुल्क परामर्श शिविरों का आयोजन करना
14	सोसाइटी के सदस्य निम्नलिखित प्रवर्गों के होंगे:-
15	(क) संरक्षक सदस्य: वह व्यक्ति जो रुपये 1000/- या अधिक एकमुश्त दान करता है या एक साल के भीतर बारह किश्तों में भुगतान करता है, सोसाइटी का संरक्षक सदस्य होगा।
16	(ख) आजीवन सदस्य: वह व्यक्ति जो रुपए 500/- या अधिक का भुगतान करता है, सोसाइटी का आजीवन सदस्य होगा।
17	(ग) साधारण सदस्य: वह व्यक्ति जो रुपए 10/- प्रतिमाह या रुपए 120/- प्रतिवर्ष भुगतान करेगा, साधारण सदस्य होगा। साधारण सदस्य केवल उसी कालावधि के लिए सदस्य होगा, जिसके कि लिए वह अंशदान करेगा।
18	(घ) अवैतनिक सदस्य: सोसाइटी की प्रबंधकारिणी समिति, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को मानसेवी सदस्य बना सकती है, ऐसे सदस्य वार्षिक साधारण सम्मेलन में भाग से सकते हैं, परंतु वे मत देने के हकदार नहीं होंगे।
19	

समिति का पंजीयन दि. 11/12/18
समिति का पंजीयन दि. 11/12/18

उत्ति. विवरण

Signature

Bmishy

उदीप कुमार

	सदस्यता की प्राप्ति-प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रूप में आवेदन करना होगा। ऐसा आवेदन पत्र प्रबंधकारणी समिति को प्रस्तुत होगा जिसके आवेदन पत्र को स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार होगा।	
7.	सदस्यों की योग्यता- संस्था का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है:- 1. आयु 18 वर्ष से कम न हो। 2. भारतीय नागरिक हो। 3. समिति के नियमों के पालन की प्रतिज्ञा की हो। 4. सदचरित्र हो तथा मधपान न करता हो।	समिति का पंजीयन क्र. 218 समिति का पंजीयन दि. 2/10/16 अति. रजिस्ट्रार
8.	सदस्यता की समाप्ति- संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जावेगी:- 1. मृत्यु हो जाने पर। 2. पागल हो जाने पर। 3. संस्था को देय चंदे की रकम नियम 5 में बताये अनुसार जमा न करने पर। 4. त्याग पत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर। 5. चरित्रक दोष होने पर और कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप में देना होगी।	
9.	संस्था कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्नलिखित व्यौरें दर्ज किये जावेंगे:- 1. प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा व्यवसाय एवं दिनांक सहित हस्ताक्षर 2. वह तारीख जिसको सदस्यों को प्रवेश दिया गया व रसीद नंबर। 3. वह तारीख जिसमें सदस्यता समाप्त हुई हो।	
10.	(अ) साधारण सभा- साधारण सभा में नियम 5 में दर्शाये श्रेणी के सदस्य समावेशित होंगे। साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेंगी, परंतु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी। बैठक का माह तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी। बैठक का कोरम 3/5 सदस्यों का होगा। संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनांक से तीन माह के भीतर बुलाई जावेगी। उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत निर्वाचन किया जावेगा। यदि संबंधित आमसभा का आयोजन किसी समय नहीं	

Richa

13mishra

प्रदीप कुमार

910760603929:07016

किया जाता तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आमसभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में एवं पदाधिकारियों का विधिवत चुनाव कराया जावेगा।

(ब) प्रबंधकारिणी सभा- प्रबंधकारिणी सभा बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का एजेंडा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवश्यक होगी। बैठक का कोरम 1/2 सदस्यों की होगी, यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घंटे के लिए स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी, जिसके लिए कोरम की कोई शर्त नहीं होगी।

(स) विशेष- यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) के 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाए विषय पर विचार करने के लिए साधारण सभा की बैठक बुलाई जावेगी। विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति पंजीयक को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 45 दिन के भीतर भेजा जावेगा। पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति का परामर्श देने का अधिकार होगा।

साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य:-

(क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना।

(ख) संस्था की स्थाई निधि व सम्पत्ति की ठीक व्यवस्था करना।

(ग) आगामी वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्त करना।

(घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो।

(च) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना।

(छ) बजट का अनुमोदन करना।

12. प्रबंधकारिणी का गठन- नियम 5 ((अ), (ब), (स)) में दर्शाए गए सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हो बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा।

(1) अध्यक्ष -1, (2) उपाध्यक्ष -1, (3) सचिव -1, (4) कोषाध्यक्ष -1, (5) संयुक्त सचिव -1, (6) सदस्य -4

13. प्रबंध समिति का कार्यकाल- प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा। समिति का यथेष्ट कारण होने पर उस समय तक जब तक कि नई प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता, करती रहेगी, किंतु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी, जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना



समिति का पंजीवन
समिति का पंजीवन

जति. रजिस्ट्रार

Signature

3/11/19

प्रदीप कुमार

निर्वाह्य होगा।

14. प्रबंधकारिणी के अधिकार व कर्तव्य-

(अ) जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना।

(ब) पिछले वर्ष का आय व्यय लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रतिवर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।

(स) समिति एवं उनके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना, संस्था की चल अचल सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना।

(द) कर्मचारियों, शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना।

(इ) अन्य आवश्यक कार्य करना, जो साधारण सभा द्वारा समय-समय पर सौंपे जाए।

(च) संस्था की समस्त चल अचल सम्पत्ति, कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी।

(छ) संस्था द्वारा कोई भी स्थावर सम्पत्ति, रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या आंतरित नहीं की जाएगी।

अध्यक्ष के अधिकार- अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा मंत्री द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा। अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में समान मत होने पर निर्णयात्मक होगा।

16. उपाध्यक्ष के अधिकार- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की, समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा।

17. सचिव(मंत्री) के अधिकार-

(क) साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय-समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हो प्रस्तुत करना।

(ख) समिति का आय-व्यय का लेखा परीक्षक से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना।

(ग) समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना। उनका निरीक्षण करना व अनियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना।

(घ) सचिव, एक समय में रु. 5000/- तक की राशि मंजूर करने हेतु प्राधिकृत

समिति का पंजीयन क्र.
समिति का पंजीयन दि.

अति. रजिस्ट्रार



[Signature]

Bmish + 9

[Signature]

होगा।

18. संयुक्त सचिव के अधिकार- सचिव की अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव कार्य करेगा
19. कोषाध्यक्ष के अधिकार- समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना।
20. बैंक खाता- सोसाइटी की निधियां अधिसूचित बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा की जावेगी। निधियों का आहरण अध्यक्ष/सचिव तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जाएगा। प्रतिदिन के व्यय के लिए कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रु. 5000/- रहेंगे।
21. संशोधन- संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा, यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने के अधिकार पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं को होगा, जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा।
22. विघटन- संस्था का विघटन साधारण सभा में कुल सदस्यों के 3/5 मत से पारित किया जावेगा। विघटन के पश्चात संस्था की चल तथा अचल सम्पत्ति किसी समान सदस्यों वाली संस्था को सौंप दी जावेगी। उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।
23. सम्पत्ति- संस्था की समस्त चल तथा अचल सम्पत्ति संस्था के नाम से रहेगी। संस्था की अचल सम्पत्ति (स्थायर) रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा, दान द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अंतरित नहीं की जा सकेगी।


हस्ताक्षर
अध्यक्ष

Bmishra
हस्ताक्षर
सचिव

प्रीत कुमार
हस्ताक्षर
कोषाध्यक्ष

T.C.
16.12.16
(एम.जे. कुरैशी)

अति. रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीज
सागर संभाग सागर

समिति का पंजीयन क्र. 11218
समिति का पंजीयन दि. 16.12.16

अति. रजिस्ट्रार

Bmishra

प्रीत कुमार





मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH



65AA 138489

Handwritten signature and date '2-12' across the stamp.

प्रमाणित प्रतिलिपि

संस्था का नाम

पं. श्री. रामजी लाल सिद्धा लखनपुर

संस्था का पता

एकद शोभापुर बेल्वापुर सोसायटी M. NO 29

मिर्झा एजिडिल, बरौन् 18 बरौन् एस्टेट बेल्वापुर हरदोय

पंजीयन क्रमांक

112/18 दिनांक 3/10/2016

के ज्ञानपत्र पत्र / नियमावली / प्रमाण पत्र /

की नकल के साथ यह स्टाम्प संलग्न है।

Handwritten signature and date '16.12.16'.

सहायक पंजीयक

सहायक पंजीयक सागर सभाग सागर

Handwritten signature.